छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 170/2008

1. श्री सतीश कुमार अग्रवाल, — *अपीलार्थी*
द्वारा— श्री राधेश्याम सतीश कुमार,
स्टेशन रोड़, बिल्हा,
जिला—बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* — *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय छ0ग0 पर्यटन मण्डल,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 28 जनवरी, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री सतीश कुमार अग्रवाल द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय छ0ग0 पर्यटन मण्डल, रायपुर के समक्ष दिनांक 16.01.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 30.11.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील का भी निराकरण समयावधि में नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 21.01.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में अपूर्ण जानकारी के लिए जन सूचना अधिकारी, छ0ग0 पर्यटन मण्डल, रायपुर को पॉच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका उत्तर उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया । उत्तर में बताया गया कि संबंधित नस्ती अंकेक्षण में भेजने के कारण अपीलार्थी को जानकारी प्रदान नहीं कराई जा सकी, अतः उक्त उत्तर को संतोषप्रद मान्य किया जाकर जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया गया । प्रकरण में दो माह बाद भी प्रति अपीलार्थी द्वारा शेष जानकारी नहीं दी गई थी, इसलिए पुनः पॉच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया ।

3/ प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी मण्डल द्वारा कराये गये निर्माण कार्य तथा इस हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों, नियुक्त वास्तुविदों, आंतरिक साज—सज्जा तथा नियुक्त अभियंताओ की आर्हतायें तथा उन्हें किये गये भुगतान से संबंधित है, ऐसे अभिलेख सदैव विभाग में उलब्ध रहते हैं, परन्तु एक वर्ष की अवधि के उपरान्त भी अपीलार्थी को पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है । प्रति अपीलार्थी द्वारा दिनांक 12.11.2008 को कुछ जानकारी अपीलार्थी को दी गई थी, जिसके उत्तर में अपीलार्थी ने दिनांक 04.12.2008 के पत्र के माध्यम से प्राप्त जानकारी अपूर्ण होने के संबंध में प्रति अपीलार्थी को सूचित किया था । प्रकरण में प्रति अपीलार्थी को पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा समस्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, अतः प्रकरण से प्रतीत होता है कि प्रति अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

नहीं है, अतः प्रति अपीलार्थी को सूचना का अधिकार के आवेदनों को समयावधि में निराकरण करने हेतु सचेत किया जाता है तथा शास्ति के संबंध में प्रति अपीलार्थी के प्रति थोड़ा उदार रूख अपनाया जाकर उनके द्वारा दी गई अधूरी जानकारी एवं विलंब के लिए अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत राशि दो हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है । साथ ही विलंब एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत पर्यटन मण्डल की ओर से राशि 1500/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं । तथा प्रति अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि अब एक सप्ताह के अन्दर अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी में से जो शेष जानकारी रह गई हो, वह निःशुल्क प्रदान की जावे ।

4/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(अनिल जोशी)
राज्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com